पत्रांक :– 14/जा0नि0–19–08/2004 (खण्ड) का0 5096

(1141)

झारखण्ड सरकार,

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

प्रेषक,

दिवाकर प्रसाद सिंह,
सरकार के संयुक्त सचिव।

सेवा में,

उपायुक्त,
दुमका/गोड्डा/देवघर/साहेबगंज/
जामताड़ा एवं पाकुड़
प्रमण्डलीय आयुक्त, संथाल परगना, दुमका।

राँची, दिनांक 3.4.17

विषय : संथाल परगना प्रमंडल में निवासरत लोहरा जनजाति समुदाय के सदस्यों को जाति प्रमाण पत्र निर्गत करने के सम्बन्ध में अनुदेश।

महोदय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक इस विभाग के पत्र सं0–3240, दिनांक–20.03.2017 का कृपया निदेश किया जाय, जिसके द्वारा लोहरा जनजाति के सदस्यों को इस विभाग द्वारा पूर्व में निर्गत अनुदेश पत्रांक–355, दिनांक–19.01.2016 के आलोक में जाति प्रमाण पत्र निर्गत करने की व्यवस्था यथावत् रखी गयी है।

2. संथाल परगना प्रमण्डल के विभिन्न जिलों में निवासरत व्यक्ति जिनके खतियान में कौम के स्थान पर कमार, लोहार एवं मड़ैया दर्ज है, के समुदाय के सदस्यों द्वारा किये गये अनुरोध के प्रसंग में डॉ0 रामदयाल मुण्डा जनजातीय कल्याण शोध संस्थान, राँची से प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार जिनके खतियान में कमार, लोहार/मड़ैया दर्ज है, उन्हें उनके रहन–सहन, खान–पान, रीति–रिवाज, सामाजिक–आर्थिक जन–जीवन के आधार पर अनुसूचित जनजाति लोहरा का जाति प्रमाण पत्र निर्गत किया जा सकता है, परन्तु यदि वे पिछड़ा वर्ग अनुसूची 1 के सदस्य हैं तो उन्हें किसी स्थिति में लोहरा जनजाति का प्रमाण पत्र निर्गत न हो, इसे सुनिश्चित किया जाना है।

सम्यक विचारोपरान्त राज्य सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि संथाल परगना के विभिन्न जिलों में निवासरत व्यक्ति जिनके खतियान में कौम के रूप में कमार, लोहार/मड़ैया दर्ज है उनके रहन–सहन, खान–पान, रीति–रिवाज, सामाजिक–आर्थिक जन–जीवन की स्थानीय जांच कर लोहरा जनजाति का जाति प्रमाण अगले आदेश तक निर्गत किया जा सकता है। इस मामले में स्थानीय जाँच की वही प्रक्रिया होगी जो इस विभाग के पत्र सं0–1853, दिनांक–26.02.2015 में निरूपित है।

विश्वासभाजन,

3/4/2017

(दिवाकर प्रसाद सिंह)
सरकार के संयुक्त सचिव।

E:\chandan\letter 2017.docx

पत्रांक :– 14 / जा0नि0–19–08 / 2004 (खण्ड) का0 5525 /

(1143)

झारखण्ड सरकार,

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

प्रेषक,

दिवाकर प्रसाद सिंह,
सरकार के संयुक्त सचिव।

सेवा में,

प्रमण्डलीय आयुक्त, संथाल परगना, दुमका,
उपायुक्त, दुमका / गोड्डा / देवघर / साहेबगंज / जामताड़ा एवं पाकुड़।

राँची, दिनांक 19.4.17

विषय : संथाल परगना प्रमंडल में निवासरत लोहरा जनजाति समुदाय के सदस्यों को जाति प्रमाण पत्र निर्गत करने के सम्बन्ध में अनुदेश।

महोदय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक इस विभाग के पत्र सं0–5096, दिनांक–03.04.2017 का कृपया निदेश किया जाय, जिसके द्वारा संथाल परगना के विभिन्न जिलों में निवासरत व्यक्ति जिनके खतियान में कौम के रूप में कमार, लोहार / मड़ैया दर्ज है उनके रहन–सहन, खान–पान, रीति–रिवाज, सामाजिक–आर्थिक जन–जीवन की स्थानीय जांच कर लोहरा जनजाति का जाति प्रमाण अगले आदेश तक निर्गत किये जाने का निदेश निर्गत है।

उक्त पत्र द्वारा निर्गत अनुदेश में उल्लिखित पत्रांक–355, दिनांक–19.01.2006 की जगह पत्रांक–355, दिनांक–19.01.2016 अंकित हो गया है। अतः पत्र सं0–5096, दिनांक–03.04.2017 की कंडिका–1 में उल्लिखित पत्रांक–355, दिनांक–19.01.2016 के स्थान पर पत्रांक–355, दिनांक–19.01.2006 पढ़ा एवं समझा जाय।

विश्वासभाजन,

19/4/2017

(दिवाकर प्रसाद सिंह)
सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक–14 / जा0नि0–19–08 / 2004 (खण्ड) का0 5525 / राँची, दिनांक– 19.4.17

प्रतिलिपिः– श्री सोनाराम मड़ैया, अध्यक्ष, लोहरा आदिवासी समाज कल्याण समिति, संथाल परगना, ग्राम–बासभीठा, पो0–बोआरीजोर, जि0–गोड्डा–813208 को सूचनार्थ प्रेषित।

19/4/17

सरकार के संयुक्त सचिव।

O/C

E:\chandan\letter 2017.docx

O/C